कार्यालय जिला पंचायत कोरिया (छत्तीसगढ़)

– : विज्ञापन : –

क्रमांक/3681/मनरेगा/जि.पं./2014 बैकुण्ठपुर, दिनॉक 03/9/14

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायतों के निराकरण पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के तहत् लोकपाल की नियुक्ति अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत की जानी है। जिसके लिए लोक प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाज कार्य या प्रबंधन में से किसी एक क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति/संस्था/सामाजिक संगठन से लोकपाल के पद हेतु आवेदन दिनांक 15/09/14 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक हेतु उपरोक्त क्षेत्रों में अनुभव के साथ आमजन अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल तथा कोरिया जिले की वेबसाईट www.korea.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 03/09/14
जिला पंचायत कोरिया

आवेदन प्रपत्र

"छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल हेतु आवेदन"

स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट-साइज फोटो चस्पा करें

आवेदित पद का नामः- .....

जिस जिले के लोकपाल हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस जिले का नामः- .....

1. आवेदक का नामः- .....
2. पिता/ पति का नामः- .....
3. जन्मतिथिः- .....
4. आवेदन के समय, आयुः- .....वर्ष.....माह.....दिन (आयु संबंधी प्रमाण संलग्न करें)
5. लिंगः- .....
6. जाति(नाम का उल्लेख करें)- .....
7. वर्गः- .....

   (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)
8. वर्तमान पताः- .....

   .....

   .....
9. स्थायी पताः- .....

   .....
10. फोन/ मोबाईल नम्बरः- .....(एस.टी.डी. कोड सहित)
11. ईमेल एड्रेसः- .....
12. शैक्षणिक योग्यताः- .....

क्रं.	उतीर्ण परीक्षा	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	उतीर्ण वर्ष	प्रासांक प्रतिशत	श्रेणी

(कृपया समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं- .....

    (लोक-प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाजकार्य या प्रबंधन में से किसी एक का उल्लेख करें)

क्रमशः.....

14. अनुभव का विस्तृत विवरणः- .....(सारणी में देवें)

क्रं.	पद नाम	संस्था का नाम	सेवा अवधि वर्ष (....से...तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(लोक-प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाजकार्य या प्रबंधन में से किसी एक में न्यूनतम 20-वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत् संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी या क्रियाकलाप के समाचार पत्र में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र, सेवानिवृत्ति दस्तावेज एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

15. क्या आमजन अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्यानुभव रखते हैं-.....
(यदि हाँ तो, अनुभव संबंधी प्रमाण व फोटोग्राफ की प्रति संलग्न करें)

16. मूल निवास प्रमाण पत्रः- .....

17. क्या किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं- .....
(हाँ या नहीं का उल्लेख करें, नहीं की स्थिति में इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें)

18. क्या किसी अपराधिक प्रकरण में दोषी साबित हुये हैं अथवा चार्जशाट दायर की गई है-.....
(हाँ या नहीं का उल्लेख करें, नहीं की स्थिति में इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें)

19. क्या क्षेत्र भ्रमण हेतु मेडिकल(शारीरिक एवं मानसिक) फिट हैं- .....

20. अन्य जानकारी, ...
जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध(Eminent) बनाती हो ।

21. क्या किसी सोसायटी अथवा व्यवसायिक निकाय के सदस्य हैं-.....
(यदि हाँ, तो जानकारी देवें)

22. संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूचीः- .....
.....
.....

उद्घोषणा

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एव सत्य है । यदि किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थानः.....
दिनांकः.....

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)

अनहर्ताएँ/ अहर्ताएँ/ नियम-शर्तें

अनहर्ताएँ-

1.) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो ।
2.) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/ उपजीविका से जुड़ा हुआ हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके ।
3.) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत जारी "Instructions on Ombudsman(as revised on 16.01.2014)" के निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता हो ।
4.) दो वर्षों की अवधि/ कार्यकाल के लिए आवेदित पद पूर्व में धारण कर चुका हो ।
5.) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता(पतन) से जुड़ा हो ।
6.) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित - संगठन/ संस्था/ समिति का सदस्य ।
7.) शारीरिक रुप से अक्षम हो ।
8.) आयु, 68 वर्ष या उससे अधिक ।

अहर्ताएँ-

1.) लोक-प्रशासन, विधि, अकादमिक, समाजकार्य या प्रबंधन में से किसी एक में न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव ।
2.) उपरोक्त क्षेत्रों में अनुभव के साथ ही "आमजन अथवा सामाजिक संगठनों" के साथ कार्यानुभव की अनिवार्यता ।

नियम एवं शर्तें-

1.) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में कार्यालय, लोकपाल की स्थापना की जानी है। लोकपाल का कार्य पूर्णतः सामाजिक सेवाभाव का है। इसलिये जीवन-निर्वाह के उद्देश्य से लोकपाल हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं होगा। लोकपाल के रुप में चयनित व्यक्ति से 'कार्यालय, लोकपाल' के कार्य-उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण समर्पण की आशा व्यक्त की जाती है। लोकपाल को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये-20,000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) के अध्याधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र) की दर से होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः.....

2.) लोकपाल के रुप में दी जाने वाली सेवा, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा नहीं मानी जावेगी। अतः लोकपाल के रुप में चयनित होने वाले व्यक्ति को शासकीय सेवा का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।

3.) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी एवं संबंधित दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये ।

4.) लोक-प्रशासन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने कार्यानुभव संबंधी दस्तावेजों के माध्यम से लोक-प्रशासनिक अनुभव को सिद्ध करना होगा ।

5.) अकादमिक क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को कम-से-कम 20 वर्षों के श्रेष्ठ अकादमिक क्रियाकलापों की जानकारी अपने आवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

6.) समाज कार्य क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ कम-से-कम 20 वर्षों के उत्कृष्ठ समाज कार्य (जिसमें वर्षवार समाज कार्य के विषयों, लाभार्थियों एवं अनुदान की स्थिति स्पष्ट करनी होगी) का उल्लेख करना होगा। इस हेतु प्राप्त पुरस्कारों अथवा प्रशस्ति पत्र या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।

7.) विधि क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ न्यूनतम 20-वर्षों के अनुभव के अंतर्गत सामाजिक हित में वाद किये गये प्रकरणों सह निष्कर्षों का विवरण देना होगा। केवल अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ द्वारा अनुभव संबंधी जारी अनुभव प्रमाण पत्र चयन हेतु पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही विधिक जागरुकता के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।

8.) अगर वह इस(लोकपाल के) अधिकार के तहत् दी गई शक्ति का दुरुपयोग करते हुये पाया जाता है अथवा किसी भी कानून अंतर्गत दोषी पाये जाने की दशा में पद से पृथक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

9.) शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में वैतनिक रुप से कार्यरत् आवेदक, आवेदन हेतु अपात्र होंगे ।

10.) आवेदक जहाँ निवास कर रहा है, उस जिले के लिए आवेदन करे । जिला मुख्यालय अथवा निकटस्थ क्षेत्र, जहाँ आवेदक को अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य-संपादन में सुविधा हो सकती है, को ध्यान में रखते हुये चयन में वरीयता दी जावेगी । निवास स्थल/ मूल निवास से कार्यालय, लोकपाल तक आने-जाने हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा ।

11.) आवेदन पत्रों के साथ समस्त प्रमाण-पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

---00---